



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग,
“प्रकीर्ण वर्ग” देहरादून।



Office of the Engineer in Chief, PWD Dehradun Uttarakhand

Website-<http://pwd.uk.gov.in>

Email:-ddpwwduk@gmail.com

पत्रांक:- 39 | 10 अगस्त 2021

दिनांक:- 07/01/2021

“कार्यालय ज्ञाप”

प्रदेश के लोक निर्माण विभाग में सेतुओं के निर्माण (प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण) हेतु मानक दरें पूर्व में इस कार्यालय के पत्रांक 559/10 अधिप्राप्ति दिनांक-05.06.2017 के द्वारा निर्धारित की गयी थी। वर्तमान में डिजाइन एवं कन्सल्टैन्सी की दरों तथा सामग्री, श्रमिकों व ढुलान की दरों में वृद्धि होने के फलस्वरूप समिति की संस्तुति के आधार पर सेतुओं के निर्माण (प्रथम एवं द्वितीय चरण) हेतु मानक दरें संलग्नानुसार निर्धारित की जाती हैं।

यह दरें मात्र प्रारम्भिक आगणन गठित करने हेतु प्रयोग की जायेंगी एवं दिनांक-01.01.2021 से प्रभावी होंगी।

(संलग्न-03 पृष्ठ)

(हरि ओम शर्मा)
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को संलग्नकों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सचिव, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन।
- 2- टी0ए0सी0 वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन।
- 3- आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल, पौड़ी, नैनीताल।
- 4- प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग यमुना कालोनी देहरादून।
- 5- मुख्य अभियन्ता, मुख्यालय विभागाध्यक्ष, कार्यालय लोक निर्माण विभाग देहरादून।
- 6- समस्त मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय/रा0मा0/पी0एम0जी0एस0वाई0 लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड देहरादून/पौड़ी/हल्द्वानी/अल्मोड़ा को इस आशय से प्रेषित कि अपने अधीनस्थ कार्यालयों को भी अपने स्तर से अवगत करायें।
- 7- महाप्रबन्धक उत्तराखण्ड, पेयजल संस्थान विकास एवं निर्माण निगम देहरादून।
- 8- मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण, विभाग देहरादून।
- 9- प्रबन्ध निदेशक गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल विकास, निगम देहरादून/नैनीताल।
- 10- वरिष्ठ स्टाफ आफिसर (नियोजन) I/II, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0 देहरादून।
- 11- अधिशासी अभियन्ता (आई0टी0), को विभागीय वेब साइट पर अपलोड करने हेतु।
- 12- समस्त तकनीकी स्टाफ, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड देहरादून।

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
६

उत्तराखण्ड राज्य में सेतुओं के नवनिर्माण (प्रथम चरण) हेतु मानक दरें

(दरें लाख रू० प्रति मीटर)

क्र.स.	मद	सिंगल लेन क्लास A लोडिंग	1.50 लेन क्लास A/70R लोडिंग	डबल लेन क्लास A/70R लोडिंग
(अ) मोटर सेतु (पर्वतीय क्षेत्र हेतु)				
1.	मोटर सेतु-लम्बाई 30 मीटर तक	0.290	0.300	0.310
2.	मोटर सेतु-लम्बाई 30 से 60 मीटर तक	-	0.260	0.270
3.	मोटर सेतु-लम्बाई 60 मीटर से अधिक	-	0.200	0.210
(ब) मोटर सेतु (मैदानी क्षेत्र हेतु)				
1.	मोटर सेतु-लम्बाई 30 मीटर तक	0.200	0.215	0.220
2.	मोटर सेतु-लम्बाई 30 से 60 मीटर तक	-	0.190	0.200
3.	मोटर सेतु-लम्बाई 60 मीटर से अधिक	-	0.145	0.150
4.	10 मीटर से अधिक गहराई हेतु प्रति कुआं प्रति मीटर अतिरिक्त	-	0.060	0.065
(स) पैदल सेतु				
1.	आर०सी०सी० / आर्च सेतु-स्पान 20 मीटर तक		0.12	
2.	स्टील सेतु-स्पान 40 मीटर तक		0.12	
3.	झूला पुल-स्पान 40 मीटर से अधिक		0.14	

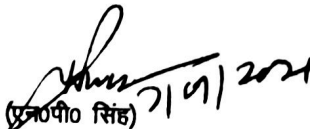
नोट-

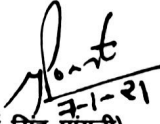
- उपरोक्त दरों पर कोई इंडेक्स देय नहीं होगा तथा सभी प्रकार की T&P सम्मिलित हैं।
- उपरोक्त दरों में IRC.SP:54-2000-Project Preparation Manual for Bridges के अनुसार समस्त आवश्यक कार्यों हेतु दरें सम्मिलित हैं।
- उपरोक्त दरों में सेतु के Foundation, Substructure एवं Superstructure के डिजाइन को मान्यता प्राप्त अभियांत्रिकी संस्थान यथा आई०आई०टी०, एन०आई०टी० अथवा विभाग द्वारा नामित एजेन्सी से ^{Vetting} कराये जाने की लागत सम्मिलित हैं।

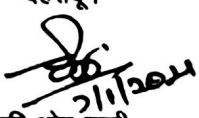

(हरषित गुप्ता)
सहायक अभियन्ता (डिजाइन सैल)


(गौरव भ्रगवतियाल)
अधिशासी अभियन्ता (डिजाइन सैल)


(पी०एस० ब्रिजवाल)
अधीक्षण अभियन्ता नवम् वृत्त लो०नि०वि०
देहरादून


(प्र०पी० सिंह)
मुख्य अभियन्ता (क्षेत्रीय कार्यालय)
लो०नि०वि० देहरादून


(गोकर्ण सिंह पोंगती)
मुख्य अभियन्ता (नियोजन)


(हरि ओम शर्मा)
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लो०नि०वि० देहरादून

नवनिर्माण (प्रथम चरण) हेतु निर्धारित प्रतिमीटर मानक दरों के आधार पर डी०पी०आर० गठन की कुल लागत का विभिन्न मदों में विभाजन

क्रम सं०	मद	डी०पी०आर० गठन की कुल लागत का प्रतिशत
A) Feasibility Study (14%)		
1	Geological Investigation and submission of report	2.00%
2	Hydrological Investigation, Analysis and Design including preparation and submission of design report.	5.00%
3	Topographic Survey, Traffic Survey (if required) and preparation of 4 no. Longitudinal Section & Cross Section for site selection and preparation of final GAD after site selection and other drawings as required.	7.00%
B) Geotechnical Investigation and Design of Foundation and Substructure including vetting from reputed technical institute or agency finalized by the Client (50%)		
4	Geotechnical Investigation, carrying out the required sub soil exploration and laboratory tests including preparation and submission of report.	25.00%
5	Preparation of Design and Drawings of Foundation and Sub Structure including submission of design report and drawings in hard and soft copy formats.	25.00%
C) Design of Superstructure and Bearings including vetting from reputed technical institute or agency finalized by the Client (30%)		
6	Preparation of Design and Drawings of Superstructure, Bearings including submission of design report and drawings in hard and soft copy formats.	30.00%
D) Preparation of Reports and Land Acquisition Cases (6%)		
7	Preparation and Submission of various DPR Reports (Inception Report, Preliminary Project Report, Draft Detailed Project Report, Final Detailed Project Report)	2.00%
8	Preparation of Land Acquisition Case including forest land transfer case	3.00%
9	Other Miscellaneous Items	1.00%


(हरषित गुप्ता)
सहायक अभियन्ता (डिजाइन सैल)


(गौरव भट्टनाग)
अधिशाली अभियन्ता (डिजाइन सैल)


(पी०एस० ब्रिजवाल)
अधीक्षण अभियन्ता नवम् वृत्त लो०नि०वि० देहरादून


(पि०पी० सिंह)
मुख्य अभियन्ता (क्षेत्रीय कार्यालय)
लो०नि०वि० देहरादून


(गोकर्ण सिंह पौगती)
मुख्य अभियन्ता (नियोजन)


(हरि ओम शर्मा)
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लो०नि०वि० देहरादून

उत्तराखण्ड राज्य में सेतुओं के नवनिर्माण हेतु मानक दरें

(दरें लाख ₹0 प्रति मीटर)

क्र.स.	मद	सिंगल लेन क्लास A लोडिंग	1.50 लेन क्लास A / 70R लोडिंग	डबल लेन क्लास A/70R लोडिंग
(अ) स्टील गर्डर/स्टील ट्रस मोटर सेतु				
1.	मोटर सेतु-स्पान 18 मीटर से 30 मीटर तक	5.00	6.85	8.50
2.	मोटर सेतु-स्पान 31 मीटर से 50 मीटर तक	-	7.40	9.40
3.	मोटर सेतु-स्पान 51 मीटर से 70 मीटर तक	-	8.00	10.25
4.	मोटर सेतु-स्पान 71 मीटर से 90 मीटर तक	-	9.70	12.50
5.	मोटर सेतु-स्पान 90 मीटर से अधिक	-	11.40	13.70
(ब) आर0सी0सी0/प्री-स्ट्रेस मोटर सेतु				
1.	आर0सी0सी0 मोटर सेतु -स्पान 18 मीटर तक	4.85	5.65	6.55
2.	प्री-स्ट्रेस कंकरीट मोटर सेतु -स्पान 30 मीटर तक	-	7.45	8.60
3.	प्री-स्ट्रेस कंकरीट मोटर सेतु -स्पान 30 मीटर से अधिक (ओपन फाउंडेशन/कुए 10 मी0 गहराई तक)	-	8.20	9.00
4.	10 मीटर से अधिक गहराई हेतु प्रति कुओं प्रति मीटर अतिरिक्त	-	1.95	2.05
5.	प्री-स्ट्रेस कंकरीट बॉक्स गर्डर मोटर सेतु -स्पान 30 मीटर से 60 मीटर तक	-	-	10.15
(स) पैदल सेतु				
1.	आर0सी0सी0/आर्च ब्रिज 20 मीटर तक स्पान		1.60	
2.	पैदल लोह सेतु 40 मीटर तक स्पान		2.30	
3.	झूला पुल 41 से 70 मीटर तक स्पान		3.35	
4.	झूला पुल 71 से 100 मीटर तक स्पान		3.90	
5.	झूला पुल 101 से 180 मीटर तक स्पान		4.20	
6.	झूला पुल सेतु 180 मीटर से अधिक स्पान		4.70	

नोट-

- यह दरें देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कोटद्वार, हल्द्वानी, रामनगर, टनकपुर आदि रेल हैड पर निर्धारित की जाती है।
- मोटर सेतु हेतु सुरक्षात्मक कार्य हेतु प्राविधान वास्तविक माप के आधार पर अलग से जोड़ा जायेगा। पैदल सेतु हेतु सुरक्षात्मक कार्य हेतु सेतु की लागत का 10 प्रतिशत अलग से जोड़ा जायेगा।
- मोटर सेतु हेतु पहुंच मार्ग हेतु प्राविधान वास्तविक लम्बाई के आधार पर जोड़ा जायेगा। पैदल सेतु हेतु पहुंच मार्ग हेतु प्राविधान 300 मीटर लम्बाई में प्रत्येक ओर किया जायेगा।
- उपरोक्त दरों में Contingencies, T&P and Quality Control हेतु प्राविधान शामिल हैं।
- उपरोक्त दरें सेतुओं के स्पान के आधार पर अनुमन्य होगी।
- निकटतम रेल हेड से दूरी इन्डैक्स निम्न प्रकार देय होगा:-
अ-पक्के मोटर मार्ग पर प्रति 10 किमी0 या उसके अंश 5 किमी0 से अधिक पर 1 प्रतिशत।
ब-कच्चे मोटर मार्ग पर प्रति 10 किमी0 या उसके अंश 2.50 किमी0 से अधिक पर 1.50 प्रतिशत।
स-मोटर सेतु हेतु अश्व/पैदल दूरी देय नहीं होगी।
- ऊँचाई हेतु इन्डैक्स निम्न प्रकार देय होगा:-
अ-1500 मीटर तक - शून्य
ब-1501 मीटर से 2100 मीटर तक - 1 प्रतिशत प्रत्येक 100 मीटर के लिए।
स-2101 मीटर से 2400 मीटर तक - 6 प्रतिशत + 3 प्रतिशत प्रत्येक 100 मीटर के लिए।
द-2401 मीटर से अधिक - 15 प्रतिशत + 5 प्रतिशत प्रत्येक 100 मीटर के लिए।

(हर्षित गुप्ता)
सहायक अभियन्ता (डिजाइन सैल)

(गौरव-धर्मा) (डिजाइन सैल)
अधिशाली अभियन्ता (डिजाइन सैल)

(पी0एस0 ब्रिजवाल)
अधीक्षण अभियन्ता नवम् वृत्त लो0नि0वि0
देहरादून

(प्रमोपी0 सिंह)
मुख्य अभियन्ता (क्षेत्रीय कार्यालय)
लो0नि0वि0 देहरादून

(गोकर्ण सिंह पांगती)
मुख्य अभियन्ता (नियोजन)

(हरि ओम शर्मा)
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लो0नि0वि0 देहरादून